न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 73/2013

वादीगण :–

1. दयालराम पुत्र कानाराम
   जाति–चौकीदार, निवासी–काणेचा,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
2. रुकमाई पुत्री कानाराम पत्नी झुमरजी
   जाति–चौकीदार, निवासी–हरियाणाढाणा
   तहसील–बिलाडा, जिला–जोधपुर (राज.)
3. माया पुत्री कानाराम पत्नी चैनाराम
   जाति–चौकीदार, निवासी–झाक,
   तहसील–बिलाडा, जिला–जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कानाराम पुत्र नारायण ,
2. ओमा पुत्र कानाराम
   जातियान–चौकीदार
   निवासीगण–काणेचा,
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
3. टोलकी पुत्री कानाराम पत्नी डुंगा
   जाति–चौकीदार, निवासी–साथिन
   तह0–बिलाडा, जिला–जोधपुर (राज.)
4. माडकी पुत्री कानाराम पत्नी विशना
   जाति–चौकीदार–निवासी–बोइल
   कापरडा, तहसील–बिलाडा
   जिला–जोधपुर (राजस्थान)
5. प्रेम पुत्री कानाराम पत्नी प्रहलाद
   जाति–चौकीदार, निवासी–सांगावास
   तहसील–जैतारण जिला–पाली (राज.)
6. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
7. एसबीबीजे शाखा जैतारण
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 20/02/2013

उपस्थितः. 1 श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीगण।
2 श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 01/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट के वादीगण के दादा नारायण वल्द निम्बा कौम–चोकीदार के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 में दर्ज हैं नकल खतौनी बन्दोबस्त साथ पेश की हैं। खसरा नम्बर 403, 398, 381, 380 कुल किता– 4 कुल रकबा 58 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, बारानी दोयम सैटलमेन्ट के उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि वादीगण के दादा नारायण वल्द निम्बा के नाम बतौर खातेदार के संवत 2017 से 2020, संवत 2021, 2024, संवत 2025 से 2028, संवत 2029 से 2032, संवत 2033 से 2036 तक रही सभी जमाबंदीयों की नकल साथ पेश की हैं। जमाबंदी संवत 2033 से 2036 के दौरान खातेदार नारायण वल्द निम्बा जो वादीगण के दादा है का देहान्त हो जाने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

189 के अनुसार मृतक नारायण के तीनो पुत्र बस्ता,प्रतिवादी संख्या एक काना व पूना के नाम बतौर उत्तराधिकारी के इन्द्राज किया गया हैं। संवत 2037 से 2040 की जमांबदी में नारायण के वारिसान तीनो पुत्रगण बस्ता, काना, पूना के नाम उक्त कृषि की खातेदारी दर्ज हैं। यह इन्द्राज संवत 2042 से 2045, संवत 2046 से 2049, संवत 2050 से 2053, संवत 2054 से 2057, संवत 2062 से 2065 व वर्तमान जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में इन्द्राज यथावत चलता रहा। जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में ही बस्ता के देहान्त होने पर उसके वारिसान पुत्रगण लालाराम, डूंगरराम, सादूराम, अणदाराम पुत्रीया मदनाई, कोशल्या, रामी, व जमनाई बेवा बस्ताराम के नाम का इन्द्राज दर्ज हैं। उक्त सभी जमाबंदीयों की प्रमाणित नकले वाद पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि हैं, जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा पक्षकारान के मध्य नहीं हो रखा हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या एक की स्वअर्जित नहीं हैं। बल्कि प्रतिवादी संख्या एक को अपने पिता से जरिये विरासत में मिली हैं। प्रतिवादी संख्या एक दिगर प्रतिवादी संख्या दो से पांच जो उसकी संतान है, से मिलकर उक्त कृषि भूमि को परिवार की कोई भी जायज जरुरत के बिना एवं वादीगण को उनके हक अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम रखने के लिये किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा हैं। वादीगण नारायण वल्द निम्बा के पौता व पौतियां व प्रतिवादी संख्या एक कानाराम के जायन्दा संतान होने से उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पूर्वजों से प्राप्त सम्पति होने से वादीगण के हक व अधिकार इनके जन्म से ही हैं। इसलिये वादीगण की और से प्रतिवादी संख्या एक उक्त कृषि भूमि में कोई भी हिस्सा बेचान या अन्य किसी प्रकार से ट्रांसफर आदि नहीं करें। इस दादरसी हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद–पत्र वादीगण की और से पेश किया हैं। उक्त कृषि भूमि के अन्य सहहिस्सेदार व सहखातेदार पूना पुत्र नारायण व मृतक बस्ता पुत्र नारायण के उत्तराधिकारियों के मध्य वादीगण का कोई विवाद नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या एक बिना कोई जायज जरुरत के संयुक्त परिवार की पूर्वजो से प्राप्त अचल सम्पति कृषि भूमि को अविभाजित है को हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकीयां गावं में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के सहयोग से देता हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या एक उक्त विवादास्पद कृषि भूमि का कोई भाग या हिस्सा किसी अजनबी को किसी भी तरह से मुन्तकित नही करे एवं ऐसे किसी दस्तावेज को प्रतिवादी संख्या एक प्रतिवादी संख्या 6 उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण के कार्यालय में पेश कर रजिस्ट्रेशन नहीं करावें और न ही प्रतिवादी संख्या 6 ऐसे किसी दस्तावेज का पंजीयन करें। इसलिये प्रतिवादी संख्या 6 को कानूनी रुप से पक्षकार होने से पक्षकार प्रतिवादी बनाया हैं। प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त कृषि भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण से ऋण ले रखा हैं। यह इन्द्राज जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में हैं। इसलिये एस बी बी जे शाखा जैतारण कानूनी रुप से इस वाद में पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया हैं। बिनाय दिनांक 04/02/2013 को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 सहयोग से गांव में ऐलानिया उक्त कृषि भूमि बैचान करने की धमकीया देने पर पैदार हुआ जो अन्दर म्याद व अदालत बाला के हक अख्तियार समायत का हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 5 की और से वकालतनामा पेश करने तथा दिगर प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश करने का समय चाहा गया। जबाब पेश करने का समय दिया गया। किन्तु जबाब पेश नहीं करने से जवाब दावा बन्द किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख से वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्थाई काश्त भी हैं। वादीगण के कब्जा काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा रोकना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–काणेचा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 403 रकबा 26–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 398 रकबा 14–03 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 381 रकबा 6–07 बीघा एवं खसरा नम्बर 380 रकबा 10–15 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता–4 कुल रकबा 58 बीघा 03 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में बिना किसी बंटवाड़ा मुतंकिल से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र–काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. दयालराम पुत्र कानाराम
जाति-चौकीदार, निवासी-काणेचा,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. रुकमाई पुत्री कानाराम पत्नी झुमरजी
जाति-चौकीदार, निवासी-हरियाणाढाणा
तहसील-बिलाडा, जिला-जोधपुर (राज.)
3. माया पुत्री कानाराम पत्नी चैनाराम
जाति-चौकीदार, निवासी-झाक,
तहसील-बिलाडा, जिला-जोधपुर (राज.)

प्रतिवादीगण :-

1. कानाराम पुत्र नारायण ,
2. ओमा पुत्र कानाराम
जातियान-चौकीदार
निवासीगण-काणेचा,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
3. टोलकी पुत्री कानाराम पत्नी डुंगा
जाति-चौकीदार, निवासी-साथिन
तह0-बिलाडा, जिला-जोधपुर (राज.)
4. माडकी पुत्री कानाराम पत्नी विशना
जाति-चौकीदार-निवासी-बोइल
कापरडा, तहसील-बिलाडा
जिला-जोधपुर (राजस्थान)
5. प्रेम पुत्री कानाराम पत्नी प्रहलाद
जाति-चौकीदार, निवासी-सांगावास
तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)
6. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
7. एसबीबीजे शाखा जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:73/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-......... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 403 रकबा 26-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 398 रकबा 14-03 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 381 रकबा 6-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 380 रकबा 10-15 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-4 कुल रकबा 58 बीघा 03 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में बिना किसी बंटवाड़ा मुतंकिल से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner